ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सुमित्रा के घर पहले थी तंगहाली,
अब आई खुशहाली
(पृष्ठ – 02)

ताड़ी से टुटे जीवन को
एस.जे.वाई ने संवारा
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना अतंर्गत
दीदियों द्वारा संचालित
उद्यमों के कुशल प्रबंधन एवं विकास हेतु
लेखांकन पुस्तिकाओं का नियमित संधारण
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जनवरी 2022 ।। अंक – 06

समाज सुधार अभियान में जीविका दीदियों की भागीदारी

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' राज्य में गरीबी निवारण के साथ ही सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित परिवार और उस परिवार के मुखिया समाज के लिए मिसाल बनने लगे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर प्रगति की राह पर अग्रसर लाभार्थी, अन्य लोगों के लिए भी तरक्की की राह आसान कर रही हैं। अपने पारंपरिक व्यवसाय ताड़ी और देशी शराब निर्माण एवं बिक्री से इतर अब वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर स्वरोजगार के तहत किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, चाय–नाश्ता की दुकान, मवेशी पालन, दुग्ध व्यवसाय और बटईया पर जमीन लेकर खेती जैसे व्यवसाय से जुड़कर मुनाफा कमाते हुए अपने बच्चे–बच्चियों का भी भविष्य उज्ज्वल कर रही हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार की संबल बनी है। लिहाजा ऐसी महिलाओं के कंधे पर अपने पति के साथ–साथ बच्चों के जीवनयापन की भी जिम्मेवारी है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित होने के बाद ये महिलायें अब समाज सुधार में भी बड़ी भूमिका अदा करने लगी हैं। बीते तीन साल से ये महिलाएं जीविका की मदद से नशा बंदी अभियान को अमलीजामा पहनाने में अहम् भूमिका निभा रही हैं। अब तो बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन में भी ये सहायक होने लगी हैं। विभिन्न माध्यमों से ये प्रखर होकर अपने कल तक के जीवन की बेबसी और अब जीवन में आ रहे खुशहाली और बदलाव को बयां कर रही हैं। सरकार से मिले सहयोग और जीविका के संबल से ये महिलाएं अबला से सबल बन रही हैं। कल के जीवन से बाहर निकलने की गाथा वो अन्य लोगो को बता रही हैं। राज्य सरकार की समाज सुधार अभियान में सतत् जीविका पार्जन योजना से लाभान्वित महिलाएं अपने जीवन में आये बदलाव की कहानी और अनुभव मुख्य मंच से माननीय मुख्यमंन्त्री जी के समक्ष खड़े होकर साझा कर रही हैं। उपस्थित महिलाओं–पुरूषों एवं खासकर युवा पीढ़ी से से नशा नहीं करने, बाल– विवाह को रोकने एवं दहेज प्रथा उन्मूलन की गुजारिश कर रही हैं। ये महिलायें अपने गाँव–समाज में भी समाज सुधार यात्रा के उद्देश्यों को लेकर सभी को जागरूक कर रही हैं। अपने जागरूकता अभियान के तहत नशा से होने वाली परेशानियां तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा से बच्चियों एवं उनके परिवार के साथ हो रही समस्याओं के प्रति ये सभी को सचेत कर रही हैं। बदहाली से बाहर निकल खुशहाल जीवनयापन की ओर अग्रतर इन महिलाओं और उनके परिवार को देखकर इनके जैसे लोग भी अब नशें के चंगुल से बाहर निकल इन्हीं की तरह बेहतर जीवनयापन के लिए आतुर हैं। जब से ये महिलाएं जीविका दीदी के रूप में नशा बंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के साथ ही अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं तब से लोगों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जागरूकता अभियान और इनके द्वारा किये जा रहे व्यापक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। कल तक इनके साथ ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपने पारंपरिक ताड़ी एवं देशी शराब व्यवसाय को छोड़कर अन्य रोजगार में लगने लगे हैं। अपने बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। कल तक ताड़ी व्यवसाय से जुड़ी और अब साड़ी का व्यवसाय करने वाली डुमराव, बक्सर की बेबी देवी बताती हैं कि बच्चे शिक्षित होगें तभी समाज शिक्षित और सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजग होगा और बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर सौ प्रतिशत पाबंदी लगेगी।

सुमित्रा के घर पहले थी तंगहाली, अब आई खुशहाली

सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत विशनुपर शिवराम पंचायत की रहने वाली सुमित्रा देवी का परिवार भूमिहीन एवं अत्यंत निर्धन की श्रेणी में आता है। उनके पति पैर से दिव्यांग होने की वजह से काम करने में असमर्थ थे। सुमित्रा देवी का परिवार तंगहाली से गुजर रहा था।

सुमित्रा की दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन ने उसे 26.09.2020 को एस.जे.वाई के लिए चयनित किया। इसके बाद योजना के तहत दीदी को आजीविका प्रारंभ करने हेतु परिसंपत्ति निर्माण कर हस्तांतरित किया गया। इसके तहत एस.आई.एफ. के तहत 10,000 रुपये से उसने श्रृंगार सह किराना दुकान स्थापित किया। वहीं 15,759 रुपये से दुकान हेतु सामग्रियों की खरीद की गई। इसके अलावा उसे जीविकोपार्जन अंतराल निधि (एल.जी.एफ) के तहत सात माह तक एक–एक हजार रुपए दिए गए।

सुमित्रा देवी ने दुकान से हुई आमदनी से चाय की दुकान भी खोल ली है। उनका पति पहले से ही कपड़ों की सिलाई का काम जानते थे। ऐसे में उसने अपने पति के लिए सिलाई की मशीन खरीदकर दी है। वह कपड़े की सिलाई के अलावा लोगों को सिलाई का काम भी सिखाने लगा है। अब उसके पास 3 सिलाई मशीन है। इस प्रकार आज उसे चाय, किराना सह श्रृंगार दुकान तथा सिलाई से होने वाली कुल मासिक आय 8–9 हजार रुपये से अधिक है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली आत्मनिर्भरता

पश्चिमी सलेमपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिला के विजयालक्ष्मी दीदी। विजयालक्ष्मी को दो लड़के हैं। जिनकी उम्र 15 एवं 10 वर्ष हैं। इनके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। विजयलक्ष्मी दीदी 10 वी कक्षा तक की पढाई की हैं। दीदी की स्थिति समूह समूह में जुड़ने से पहले काफी दयनीय थी। दीदी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। वो समूह में भी नहीं जुड़ना चाहती थी। उन्हें लगता था 10 रुपया का साप्ताहिक बचत वो समूह में कैसे करेगी। क्यूंकि उनके पास आय का कोई साधन नहीं था।

इसके बाद ग्राम संगठन के द्वारा विजयलक्ष्मी दीदी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना में किया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना में चयन के बाद उन्हें 15000/– की SIF राशि दी गई, जिस से विजयलक्ष्मी दीदी अपने घर में ही एक दुकान का निर्माण की। इसके बाद उन्हें 15000 रूपये की LIF राशि दी गई, जिस से उन्होंने खाद्य सामग्री ले कर अपने दुकान की शुरुआत की। विजयलक्ष्मी दीदी अपने LIF राशि की प्रथम क़िस्त से दुकान को अच्छे से चलाई और इसके बाद इन्हे 5000–/ की द्वितीय क़िस्त LIF की दी गई। साथ ही साथ समय समय पर उन्हें LGF की भी 7000–/ की राशि दी गई। दीदी की दुकान में खाद्य सामग्री, स्टेशनरी आदि उपलब्ध है। दीदी बताती हैं कि उन्हें लगभग 600 –/ की बिक्री प्रत्येक दिन हो जाती हैं। दीदी को प्रत्येक दिन का 100–/ का बचत हो जाती है। जिस से दीदी काफी खुश है। अब उनके पास आय का एक साधन हैं, और दीदी अब बचत भी करती हैं। दीदी अब अपने परिवार के साथ अच्छे से भोजन कर पाती हैं और बचत कर पाती हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना उनके जीने का सहारा बना। दीदी चाहती है कि उनका दुकान और अच्छे से चले। दीदी वर्तमान में अभी खुशहाल हैं।

ताड़ी से टुटे जीवन को एस.जे.वाई ने संवारा

शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखण्ड के मिर्जापुर गाँव की रहने वाली 47 वर्षीय कारी देवी के पति स्व. सरयुग चौधरी ताड़ी का व्यवसाय करते थे, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। व्यवसाय करने के साथ–साथ ताड़ी का स्वयं भी अत्यधिक सेवन करते थे। अचानक एक दिन उनकी तबियत खराब हो गयी और उनकी मृत्यु हो गई। कारी दीदी के जीवन में जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कमाने का कोई साधन नहीं बचा। परिवार का भरण पोषण अब मुश्किल हो गया था।

वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी के साथ–साथ ताड़ी के व्यवसाय पर भी पाबन्दी लगा दी गयी। ऐसे में कारी दीदी के बंद हुए पारंपरिक व्यवसाय से दीदी बेरोजगार हो गई। तब पेट पालने के लिए कारी दीदी ने दूसरों के घर में बर्तन मांजना, कपडे धोना, झाड़ू–पोछा करना शुरू कर दिया ताकि अपने घर का चूल्हा जला सके और बच्चों को दो वक्त की रोटी मिल सके।

वर्ष 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविका के समूहों से जोड़े जाने की प्रक्रिया चलायी गयी जिस क्रम में खुशी जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा इनका चयन किया गया और गणेश जीविका स्वयं सहायता समूह में उन्हें जोड़ा गया। ग्राम संगठन के माध्यम से उनका सूक्ष्म नियोजन कर उन्हें श्रृंगार की सामग्री बेचने हेतु एक ठेले की खरीदारी करवाई गयी। अब कारी दीदी स्वयं का दुकान चला रही है और स्वरोजगार से जुड़ कर हर महीने 6 हजार से 8 हजार रुपये की आमदनी कर लेती हैं। अब अपने बच्चो को स्कूल भेज रही है, दो वक्त का भोजन खिला पा रही है। आज कारी दीदी का बैंक में व्यक्तिगत बचत खाता भी है जिनमे वे हर महीने कुछ बचत भी कर रही हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या आने पर कर्ज न लेना पड़े। समूह से लिए हुए 10 हजार के ऋण को भी इन्होंने 10 किस्तों में वापस कर दिया।

कारी दीदी का मानना है कि जीविका से जुड़ने से उन्हें स्वरोजगार मिल गया जिससे दो वक्त का भोजन मिल पा रहा है और बच्चों की पढाई करा पा रही है। आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है और समाज में मान सम्मान मिला।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदल दिया सीमा का जीवन

मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर प्रखंड के जजहट, सवेला झिटकिया की 45 वर्षीय सीमा दीदी सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर किराना की दुकान चला रही हैं। इस व्यवसाय से दीदी को प्रतिमाह औसतन 3 हजार से ज्यादा की आमदनी हो रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के पूर्व सीमा दीदी के पति ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। दीदी के पति ताड़ी बेचते भी थे और खुद पीते भी थे। सीमा का पति एक बार काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए और उनकी मौत हो गयी। पति की मौत के बाद दीदी बेसहारा हो गयी। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी। खाने–पीने में कठिनाई के साथ बच्चों की परवरिश रूक गयी। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गयी।

वर्ष 2019 में अमानत ग्राम संगठन ने उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका चयन सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में कर लिया। सीमा दीदी के सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद उन्हें विशेष निवेश निधि के रूप में 30 हजार रूपए एवं जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रूप में 7 हजार रूपए की राशि मिली। जीविकोपार्जन निवेश निधि से दीदी ने किराना का दुकान प्रारंभ किया। थोड़ी समस्या के बीच उनका व्यवसाय धीरे–धीरे गति पकड़ने लगा। वर्तमान समय में सीमा दीदी को प्रतिमाह 4 हजार रूपए से ज्यादा की आमदनी हो रही है। उनकी उत्पादक संपत्ति भी बढ़कर लगभग 32 हजार रूपए की हो गयी है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद सीमा दीदी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। अब वह अपने बच्चों का लालन–पालन सही तरीके से कर रही है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने लगी हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा–राशन कार्ड, बैंक में व्यक्तिगत खाता, बीमा, स्वच्छ पेयजल आदि का लाभ भी मिलने लगा है। उनका मानना है कि–'सतत् जीविकोपार्जन योजना ने मेरी जिन्दगी को पूरी तरह बदल दिया।

सतत जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत दीदियों द्वारा संचालित उद्यमों के कुशल प्रबंधन एवं विकास हेतु लेखांकन पुस्तिकाओं का नियमित संधारण

ताड़ी एवं देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री से परंपरागत रूप से जुड़े परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा रहा है। इन परिवारों द्वारा की जा रही जीविकोपार्जन गतिविधियों में– दुकान, सूक्ष्म उद्यम एवं बकरी पालन इत्यादि शामिल हैं। अतः इन आजीविकाओं के बेहतर संचालन, कुशल प्रबंधन, सतत निगरानी और निरंतर विकास के लिए उसका सही और समयबद्ध लेखांकन आवश्यक होता है। यही कारण है कि योजना अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर लेखांकन हेतु अनेक प्रकार की पंजियों एवं इसके लेखांकन की अनिवार्यता लागू की गई है, जो इस प्रकार है–

1. दीदी की पुस्तिका या दैनिक रजिस्टर:– दीदी द्वारा संचालित उद्यम में दैनिक आधार पर होने वाले सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन को दैनिक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसमें उद्यम के लिए आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी तथा इस पर होने वाले व्यय, दुकान से प्रतिदिन समानों की बिक्री एवं इससे प्राप्त आय, उधार बिक्री तथा उधार वापसी एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले खर्च के साथ–साथ बचत एवं बैंक में जमा राशि को इस पुस्तिका में संधारित की जाती है। इसके अतिरिक्त दीदी को अन्य स्रोतों से होने वाली आय को भी इसमें पंजी में दर्ज किया जाता है। दैनिक आधार पर इस पंजी के संधारण की जिम्मेदारी उद्यम चालने वाली दीदी की होती है लेकिन शुरुआती दौर में मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा इसके संधारण में मदद की जाती है। एमआरपी द्वारा साप्ताहिक आधार पर उद्यम भ्रमण के दौरान इस पंजी के संधारण को अद्यतन कराते हैं। हालांकि धीरे–धीरे दीदी को प्रशिक्षित कर इतना सक्षम बनाया जाता है ताकि वे इस पुस्तिका का संधारण स्वयं कर सके।

2. स्टॉक पंजी: उद्यम या दुकान में स्टॉक की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्टॉक पंजी की व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक आधार पर संधारित होने वाले इस रजिस्टर में सप्ताह भर में समानों की कुल बिक्री, खरीदारी एवं शेष बचे स्टॉक दर्ज किये जाते हैं। इस पंजी का संधारण भी दीदी के स्तर पर किया जाता है। लेकिन एमआरपी इसके संधारण में दीदी को पूर्ण मदद करते हैं। स्टॉक रजिस्टर लागू होने से उद्यम में स्टॉक की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है। इसी आधार पर उद्यम के सही प्रबंधन एवं उसके विकास में मदद मिलती है।

3. एमआरपी रजिस्टर: एमआरपी के द्वारा संधारित किए जाने वाले इस रजिस्टर में दीदियों द्वारा संचालित उद्यम की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इस रजिस्टर का संधारण सभी दीदियों की दैनिक पंजी एवं स्टॉक पंजी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस रजिस्टर से दीदियों को उद्यम से सप्ताहिक एवं मासिक आधार पर होने वाली आमदनी, खर्च, परिसंपत्तियों का विकास, बचत, नकद एवं शुद्ध लाभ का आकलन किया जाता है। इसके अलावा परिवारों को सरकारी योजनाओं से जुड़ाव एवं प्राप्त लाभ के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। इसके आधार पर दीदियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके विकास हेतु योजना तैयार की जाती है और व्यक्तिगत रूप से उन्हें जरूरत के अनुरूप आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

4. बीपीआईयू रजिस्टर : प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तर पर संधारित किए जाने वाले इस रजिस्टर में इस योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों की विस्तृत विवरणी दर्ज की जाती है। इसमें दीदियों का प्रोफाइल, चयन की तिथि, योजना के विभिन्न मद से प्राप्त राशि एवं अन्य लाभ तथा दीदियों द्वारा संचालित उद्यम की पूर्ण विवरणी दर्ज की जाती है। इसका संधारण प्रखंड स्तरीय परियोजना कर्मी द्वारा किया जाता है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि